GST NO. 07AAACE1747M1ZJ

EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

EPCH HOUSE, POCKET 6 & 7, SECTOR 'C', LOCAL SHOPPING CENTRE, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070

Tel: +91-11-26135256 **Email:** press@epch.com

Fax: +91-11-26135518,26135519 **web:** www.epch.in

1st February', 2021

EPCH PRESS RELEASE

UNION BUDGET 2021-22 ANNOUNCED BY THE UNION FINANCE MINISTER
Abolition of Duty Free Import Scheme for Handicrafts sector to be counter productive

NEW DELHI – 1st February'2021 - The Union Budget for 2021-22 was presented by the Smt. Nirmala Sitaraman, Union Finance Minister in the Parliament on 01.02.2021. Dr. Rakesh Kumar, Director General-EPCH said, the budget does not contain any specific benefit for handicrafts sector but contains some measures for promotion of exports in general. Some of these measures may benefit the handicrafts sector also. Adding further, he indicated some of the following measures addressed in the budget:

- The Product Linked Incentive Scheme (PLI) announced by the Government of India for 13 sectors including Textiles to support AtmaNirbhar Bharat for the manufacturing sector, the budget committed nearly Rs.1.97 lakh crores, over 5 years starting FY 2021-22 to give further boost.

- To enable the textile industry to become globally competitive, attract large investments and boost employment generation, a scheme of Mega Investment Textiles Parks (MITRA) will be launched in addition to the PLI scheme. This will have world class infrastructure with plug and play facilities to enable create global champions in exports, proposed to have 7 Textile Parks established over 3 years.

- In order to incentivise start-ups, eligibility for claiming tax holiday extended by one more year – till 31st March, 2022 and capital gains exemption for investment in start-ups by one more year - till 31st March, 2022.

- Reduced custom duty on steel / iron to 7.5% for a period up to 31st March, 2022 and revoking ADD and CVD on certain steel products. Also, duty on copper scrap reduced from 5% to 2.5%.

- Rationalizing exemption on import of duty-free items as an incentive to exporters of garments, leather, and handicraft items. The duty free exemption scheme is now been withdrawn from 31st March, 2021

- In order to simplify the GST several measures announced to further simplify it. Some of the measures like, nil return through SMS; quarterly return and monthly payment for small taxpayers; electronic invoice system; validated input tax statement; pre-filled editable GST return, and staggering of returns filing.

- Reduction in Time for Income Tax Proceedings, time-limit for re-opening of assessment to 3 years from the present 6 years, in serious tax evasion cases, only where there is evidence of concealment of income of Rs. 50 lakh or more in a year assessment be re-opened up to 10 years with the approval of the Principal Chief Commissioner.

Shri Ravi K. Passi, Chairman-EPCH said, the reduction in Custom Duty on steel/iron and copper is a welcome step and surely going to provide relief to exporters who have been severely hit by a recent sharp rise in raw material prices. However, the withdrawal of Duty Free Import Certificate scheme for handicrafts, garments and leather sector from 31st March, 2021 is blow to the handicrafts sector as the scheme has been helpful in providing embellishments, trimmings, consumables and tools to the handicrafts exporters to enhance the quality and look of final product as per demands in the overseas market. As recently as 2018, the list of items covered under the scheme were enhanced from 27 to 71 items.

The Handicrafts exports during the year 2019-20 was Rs. 25,270.14 crores and during 1st nine months i.e. April-December'2020-21 is Rs. 16940.98 Crores and USD 2268.58 Million informed by Dr. Rakesh Kumar, Director General – EPCH.

For more information, please contact:
Dr. RAKESH KUMAR, DIRECTOR GENERAL – EPCH - +91-9818272171

****

ई.पी.सी.एच. प्रेस विज्ञप्ति

केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया

हस्तशिल्प सेक्टर के लिए शुल्क मुक्त आयात योजना की समाप्ति काउंटर उत्पादक

दिल्ली 1 फरवरी 2021 - वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में एक फरवरी 2021 को पेश किया गया। इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के महानिदेशक डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि इस बजट में वैसे तो हस्तशिल्प सेक्टर के लिए कोई विशेष लाभ नहीं हैं पर आमतौर पर निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गये हैं। इसमें से कुछ प्रावधान हस्तशिल्प सेक्टर को भी फायदा पहुंचाने वाले हैं। अपनी बात को विस्तार देते हुए उन्होंने बजट में पेश किए गये निम्न प्रावधानों को इंगित किया:

Ø मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करने के लिए टेक्सटाइल्स सहित 13 सेक्टरों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की गयी , बजट ने वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना को आगे बढ़ाने और विस्तार देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।

Ø कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, पीएलआई योजना के

अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क- मित्रा (एमआईटीआरए) की एक योजना शुरू की जाएगी। इससे विश्व स्तर की अवसंरचना बनाई जा सकेगी जिसमें प्लग एंड प्ले सुविधा भी होगी। इन अवसंरचनाओं से निर्यात में वैश्विक चैंपियन बनाए जा सकेंगे इसके साथ ही अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

Ø स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स से छूट (टैक्स हॉलीडे) का दावा करने की पात्रता को एक और वर्ष से बढ़ाकर - 31 मार्च, 2022 तक किए जाने और स्टार्ट-अप में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट की अवधि को एक वर्ष और यानी 31 मार्च, 2022 तक किया जाना।

ø 31 मार्च 2022 तक स्टील/ लोहे पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत किए जाने तथा स्टील उत्पादनों पर एडीजी और सीवीडी को खत्म किया जाना। इसके अलावा, कॉपर स्क्रैप पर ड्यूटी 5% से घटकर 2.5% हो गई है।

Ø वस्त्र, चमड़ा और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क-मुक्त वस्तुओं के आयात पर छूट को तर्कसंगत बनाना। शुल्क मुक्त छूट योजना अब 31 मार्च, 2021 से वापस ले ली गई है।

Ø जीएसटी को सरल बनाने के लिए कई प्रावधानों को और आसान बनाने की घोषणा की गयी है। कुछ उपाय जैसे, एसएमएस के माध्यम से शून्य रिटर्न दाखिल करना; छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न और मासिक भुगतान; इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली; मान्य इनपुट टैक्स स्टेटमेंट; प्री-फिल्ड संपादन योग्य जीएसटी रिटर्न, और रिटर्न फाइलिंग में विचलन की सुविधा।

Ø आयकर कार्यवाहियों में लगने वाले समय में कटौती, गंभीर कर चोरी के मामलों में पुनर्मूल्यांकन के लिए फिर से खोलने के लिए समय-सीमा वर्तमान 6 वर्षों से घटाकर 3 वर्ष किया जाना वह भी तब जब वार्षिक मूल्यांकन में 50 लाख या उससे अधिक की आय छिपाने का सबूत हो। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की मंजूरी से वार्षिक आकलन में को 10 साल तक के लिए फिर से खोला जा सकता है।

ईपीसीएच के चेयरमैन श्री रवि के पासी, ने कहा, कि स्टील / लोहा और तांबे पर कस्टम ड्यूटी में कमी एक स्वागत योग्य कदम है और निश्चित रूप से उन निर्यातकों को राहत देने जा रहा है, जो कच्चे माल की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि से बुरी तरह परेशान हैं। हालांकि, 31 मार्च, 2021 से हस्तशिल्प, वस्त्र और चमड़े

के क्षेत्र के लिए शुल्क मुक्त आयात प्रमाणपत्र योजना की वापसी हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए झटका है क्योंकि यह योजना हस्तशिल्प निर्यातकों को प्रोत्साहने देने के लिए अलंकरण, सजावट, उपभोग्य सामग्रियों और उपकरणों को खरीदने में मदद करने वाली थी और इससे निर्यातक और कारीगर विदेशी बाजार में मांग के अनुसार अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता और रूप में वृद्धि कर सकते हैं। हाल ही में 2018 तक, योजना के तहत शामिल वस्तुओं की सूची 27 से बढ़ाकर 71 कर दी गई थी।

ईपीसीएच के महानिदेशक डॉ. राकेश कुमार ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में हस्तशिल्प निर्यात का कुल मूल्य 25,270.14 करोड़ रुपये था और इस वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 के पहले नौ महीने यानी अप्रैल से दिसंबर तक का कुल निर्यात 2268.58 मिलियन अमरीकी डालर यानी 16940.98 करोड़ रुपये हुआ है।

ज्यादा जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

डॉ. राकेश कुमार, महानिदेशक, ईपीसीएच - +91-9818272171

****